INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL

(Insertion of new Section 53A)

Shri K. C. Sodhia (Sagar): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

The motion was adopted.

Shri K. C. Sodhia: I introduce the Bill.

PROHIBITION OF MANUFACTURE AND SALE OF VANASPATI BILL—*Contd.*

Mr. Deputy-Speaker: The House will now resume further discussion of the Prohibition of Manufacture and Sale of Vanaspati Bill, the motion for consideration of which was moved by Shri Jhulan Sinha on the 17th September, 1954.

The mover and Kumari Annie Mascarene have already spoken and concluded their speeches. Pandit Thakur Das Bhargava had not concluded his speech, when the House adjourned for the day.

Pandit Thakur Das Bhargava may now continue his speech.

Pandit D. N. Tiwary (Saran South): I want to make one suggestion. We have got very little time. The Bill has not got unlimited time. Pandit Thakur Das Bhargava has already taken 45 minutes. There should be a time limit for every speech. Moreover, this is not the first time that he is speaking on this subject. In the beginning of his speech, he has said:

"मैं खुद कम से कम तीन चार घंटे वनस्पति के सवाल पर बोलता रहा हूं ।"

He has got the capacity and power to speak for days. But, there should be a time limit. We are left out.

Some Hon. Members: Let us develop that habit.

Mr. Deputy-Speaker: It is not necessary to say that.

Pandit Thakur Das Bhargava (Gurgaon): It is no point of order at all. It is a reflection on me.

Mr. Deputy-Speaker: There is no rule. When the resolution was moved, the House was not willing to accept it. It has been put off. Under the rules as they stand, even God cannot prevent the hon. Member from continuing. Only if a motion for closure is moved, it is open to the Speaker to consider whether to accept it or not. If one Member goes on speaking, I do not think there is any rule which can prevent him from speaking. It is left to him and to the House.

Shri B. S. Murthy (Eluru): Cannot the Member himself stop?

Mr. Deputy-Speaker: The Member may go out. None can prevent him.

Pandit D. N. Tiwary: I have only made a suggestion, Sir.

Mr. Deputy-Speaker: There is no good in making a suggestion. I leave it to the House. I have called upon the hon. Member. Each hon. Member has his points. He thinks that the Bill is important. I cannot prevent him from stating his case.

Shri Algu Rai Shastri (Azamgarh Distt.—East *cum* Ballia Distt.—West): The Bill is very important.

Shri V. P. Nayar (Chirayinkil): Those who take vanaspati will stop in 15 minutes. He can speak for five hours because he does not perhaps take vanaspati and takes ghee instead!

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो अल्फाज आप ने अभी फरमाये हैं कि कोई शख्स किसी मेम्बर को बोलने से नहीं रोक सकता और शायद गवर्नमेंट रोक सकती हैं, मुझे अफसोस हैं कि मैं इन अल्फाज की ताईद नहीं कर सकता । क्लोजर जो होता हैं, वह डिबेट का

[त ठाकुर दास भार्गव]

तो होता हैं लेकिन अगर कोई आनरेबुल मेम्बर बोल रहा हो तो वह भी बीच में नहीं हो सकता हैं। लेकिन ताहम मैं अपने दोस्त की बड़ी इज्जत करता हूं। पर जो मेरे दोस्त और मेहरबान मुझे इस किस्म की हिदायात दे रहे हैं, मैं नहीं जानता कि वह कहां तक मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं उन का मश्कूर हूं लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं उन साहबान की बड़ी इज्जत करता हूं और मैं कभी ऐसा ऐटिट्यूड नहीं लूंगा जिस में कि उन को शिकायत करने का मौका मिले। हमारे बहुत से मेम्बर ताजा ताजा आये हैं और वह दिन वह लोग भूल गये जब यहां पर पुराने मेम्बर बोलते थे और चन्द घंटे तो वह लोग मामूली से मामूली बिल पर बोला करते थे। अगर यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पुराने जमाने में आया होता तो इस पर एक महीने से कम किसी हालत में न लगता। लेकिन मैं यह ऐटिट्यूड खुद पसन्द नहीं करता। हमें यहां आ कर काम करना हैं। इस लिये मैं उतना ही वक्त लेना चाहता हूं जितना कि जरूरी हो। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मैं जरूरत से ज्यादा वक्त हाउस का नहीं लूंगा।

[SHRIMATI KHONGMEN *in the Chair*]

आज शायद मैं पहले नान आफिशल मेम्बर हूं जिस की यह खुशकिस्मती हैं कि वह नये फूड एंड एंगिकल्चर मिनिस्टर को मुबारकबाद पेश करें। आज मैं इस मौके से पहला फायदा यह उठाना चाहता हूं कि उन को तहे दिल से मुबारकबाद दूं। मुझे उम्मीद हैं कि जैसे उन्होंने पहले बड़ी हिम्मत के साथ और मेहनत के साथ अपना रिहैबिलिटेशन का काम किया इस हद तक कि जहां असूल का सवाल आया यह भी परवाह नहीं की कि वह मिनिस्टर भी रहेंगे या नहीं इसी तरह वह अब करेंगे। मैं उन की इस स्पिरिट को बहुत ज्यादा एप्रिशिएट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नये आनरेबल मिनिस्टर साहब हमें इस बात को भुलवा देंगे कि श्री किदवई हमारे फूड एंड एंगिकल्चर मिनिस्टर थे। मुझे उम्मीद हैं कि हमारे जितने झगड़े और जितने मामले हैं उन को वह उसी हमदर्दी के साथ और उसी तरीके के साथ हल करेंगे जो कि उन की आदत में दाखिल हैं और जैसे उन्होंने रिहैबिलिटेशन के मामलात और झगड़ों को हल किया। चुनांचे मैं आज उन को मुबारकबाद देता हूं।

आज मुझे किदवई साहब की वह शक्ल याद आती हैं जो मैं हमेशा देखा करता था और जो कि मुझे आज इस हाउस में नहीं दिखाई देती। मैं आज जनाब के सामने और हाउस के सामने दो वाकियात किदवई साहब के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं। इस में मुझे दो तीन मिनट लगेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस मुझे माफ करेगा, साथ ही वह यह देखेगा कि किदवई साहब के इस दुनियां से तशरीफ ले जाने से देश का कितना बड़ा नुक्सान हुआ हैं।

जिस वक्त मैं आखिरी दफा इस बिल के ऊपर बहस कर रहा था तो मैं ने उन से बहुत मूविंग अल्फाज में इल्तजा की कि जैसे आप ने फूड के सवाल को हल किया उसी तरह से आप इस सवाल को भी हल कीजिये। सारी तकरीरें सुनने के बाद किदवई साहब खुद मेरे पास तशरीफ लाये और मुझ से कहने लगे कि मैं इस वनस्पति को रंगवा दूंगा। मैं ने उन से अर्ज किया कि यह वादा तो हमारे आनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किया हुआ हैं और मैं ने हाउस के जरिये दुनिया भर में एनाउन्स किया हुआ हैं कि श्री मुंशी का, श्री थिरुमल राव का और सारे मोहकमे का वादा हैं इस के बारे में, लेकिन वह वादा आज तक पूरा नहीं हो सका। इस पर किदवई साहब दोबारा कहने लगे कि नहीं मैं इसे रंगवा दूंगा। मैं ने कहा कि आज आप इस तरीके से कह रहे हैं, मैं आप पर यकीन रखता हूं। और मुझे

सचमुच पूरा यकीन था कि यह वनस्पति अब रंगा जायेगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती को देखिये, आज उन के मरने पर हम क्या महसूस करते हैं? मुझ को डर है कि जिस हिम्मत के साथ और जिस लगन के साथ उन के सारे काम होते थे उसी हिम्मत और लगन के साथ आइन्दा काम होंगे या नहीं और पता नहीं कि इस बिल का क्या हशर होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे मिनिस्टर साहब जिन को यह बिल विरसे में मिला है वह किदवई साहब की वसीयत पर पूरा अमल करेंगे और जो यकीन उन्होंने दिलाया था उसे पूरा करेंगे।

मैं दूसरा एक और छोटा सा वाकिया बयान करना चाहता हूं। किदवई साहब तो इस दुनिया से तशरीफ ले गये, लेकिन मैं यह वाकिया इसलिए बयान करना चाहता हूं कि मेरे दिल में उनके बरताव का जो असर हुआ है उसको कहे बगैर मैं रह नहीं सकता। पटने में गो सेवक समाज की तरफ से एक कानफ्रेंस हुई थी जिसका मैं प्रेसीडेंट था। उसका इनागुरेशन हमने किदवई साहब से करवाया था। उस कानफ्रेंस में काऊ स्लाटर की रोक का सवाल आया था। उस कानफ्रेंस में किदवई साहब ने हमसे वायदा किया था कि वह इस रोक को पूरा करने के लिए एक मिनिस्टर्स की कानफ्रेंस बुलायेंगे और इस मामले को तै करेंगे। उन्होंने चुनांचे एक मिनिस्टर्स की कानफ्रेंस बुलाई, पर जिन्होंने इस कानफ्रेंस के लिए कहा था उन्हीं को उसमें नहीं बुलाया गया। इस कानफ्रेंस में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी तशरीफ ले गये थे और उन्होंने वहां पर जो ख्यालात जाहिर किये वे मुझ को पसन्द नहीं थे। वे ख्यालात दफा ४८ कांस्टीट्यूशन के किसी कदर खिलाफ थे। मैं किदवई साहब की खिदमत में गया और मैं ने उनसे कहा कि आप फूड एंड एग्रिकल्चर मिनिस्टर हैं, आप बतलाइये कि आप अपनी पटना की स्पीच को जिस में आपने गोवध रोकने का वायदा किया था अब भी मानते हैं या नहीं। मैं ने उनसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब के रिमार्क्स आपकी पालिसी के खिलाफ हैं। क्या आप उनसे अपने आपको पाबन्द नहीं समझते। मैं ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं भी अपना उतना ही लीडर समझता हूं कि जितना कि और कोई, लेकिन पबलिक पालिसी के मामलों में हमारा इख्तिलाफ हो सकता है।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखपटनम्): यही तो हिन्दुस्तान की मुसीबत है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : तो मैं ने किदवई साहब से पूछा कि क्या आपकी भी यही पालिसी है। मैं ने उनसे कहा कि मैं इस को साफ कर लेना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी पालिसी वही है और जो मैं ने पटना में कहा था उससे मैं एक हरफ भी पीछे हटने को तैयार नहीं हूं। इस पर मैं ने अर्ज किया अगर ऐसी सूरत है तो जो इख्तिलाफ आपकी पालिसी में और प्राइम मिनिस्टर साहब की पालिसी में है आप इसका इजहार करें। इस पर उन्होंने फरमाया कि तुम सवाल करो और मैं उसके जवाब में वही बयान दूंगा जो कि मेरे दिल में है और जिस का मैं ने पटने में इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं यह मानता हूं कि जो जिस मुहकमे का मिनिस्टर हो उसमें उसकी पालिसी चलनी चाहिए। चुनांचे मैं ने फूड मिनिस्टर साहब के लिए सवालात शोर्ट नोटिस के भेजे लेकिन सेशन का आखीर था इस वजह से वह सवालात मंजूर न हो सके। थोड़े दिनों बाद सेठ गोविंद दास का बिल हाउस के सामने आया और उसके सिलसिले में मैं ने उनसे हाउस में पूछा कि आपका क्या रिएक्शन है। तो उन्होंने कहा कि मैं वही बात कहता हूं जो कि मैं ने पटना में कही थी और उन्होंने वही अपनी पालिसी बतलायी। मैं अदब से अर्ज करूंगा कि ऐसा बाउसूल, हिम्मत वाला और

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

ऐसा काम करने वाला मिनिस्टर बहुत कम किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट में होगा। जिस वक्त मुझे उनकी मौत की खबर मिली तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे इतना दुःख हुआ जितना कि किसी नजदीक से नजदीक के रिश्तेदार के मरजाने से न होता क्योंकि उनसे सारे मुल्क को हमदर्दी थी। मैं जितनी मर्तबा उनके दरबार में गया कभी खाली नहीं आया, और न और कोई खाली आता था। कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं थी कि जो उन्होंने मंजूर न की हो। वह सब के साथ ऐसा ही करते थे। मैं आज यह अर्ज करना चाहता हूं कि उनके बारे में मेरे दिल में जो कुछ है उसको मेरे अल्फाज अदा नहीं कर सकते। अब उनकी जगह श्री अजित प्रसाद जैन को मिली है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से श्री अजित प्रसाद जी उनकी जिन्दगी में किदवई साहब के फोलोअर रहे उसी तरह से उनके बाद भी उनकी पालिसी को चलायेंगे और उसी हिम्मत, इस्तकलाल और जवांमर्दी से काम करेंगे जैसा कि वे अभीतक करते रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वे भी उसी तरह से काम करते रहेंगे जिस तरह से कि किदवई साहब करते थे।

श्री अलगूराय शास्त्री : और यह जैन भी हैं।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : जो कुछ मैं ने पिछली दफा इस बिल पर कहा है, मैं उसको दुहराना नहीं चाहता। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। पिछली दफा मैं ने हाउस में यह बड़े जोर से अर्ज किया था कि बनस्पति एक ऐसी चीज है जो कि हमारी अव्वल दर्जे की न्यूट्रीशन की चीज में मिलाया जाता है। किदवई साहब भी उसी इलाके से आते थे और वह जानते थे कि जमींदार के वास्ते छाछ कितनी जरूरी चीज है। जो मैं ने पहले कहा था उसको मैं नहीं दुहराना चाहता। मैं यह अर्ज करूंगा कि जो कुछ मैं ने पहले कहा है उसको आनरेबिल मिनिस्टर साहब पढ़ लें। मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब बखूबी जानते हैं कि छाछ और घी क्या चीज है और यह मेरी खुशकिस्मती है कि यह इस बात को महसूस भी करते हैं। यह सवाल सिर्फ मैन्यूफेक्चरर्स का नहीं है। यह हमारे नेशनल फूड का सवाल है। यह हमारे कांस्टीट्यूशन की दफा ४७ और ४८ में डाइरेक्टिव प्रिंसिपल के तौर पर दिया हुआ है और इन आर्टिकल्ज से सब आदमी और मिनिस्टर्स और म्युनिसिपैलिटीज हैंड एंड फुट बंधे हुए हैं। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि इसको छोटे नुक्तेनजर से न देखा जाय बल्कि उसी नुक्तेनजर से देखा जाय जिससे कि मैं इसको देखता हूं। यह हमारे मुल्क के लिए एक जिन्दगी और मौत का सवाल है। मैं चाहता हूं मिनिस्टर साहब इस मसले को इसी नुक्तेनिगाह से देखें जैसे कि मैं देखता हूं। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि यह बनस्पति हमारी कैटिल इंडस्ट्री को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है और हमारी घानी इंडस्ट्री को जो कि एक काटेज इंडस्ट्री है उसको किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं उसको मैं फिर दुहराना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि हमारी घी इंडस्ट्री को और हमारी घानी इंडस्ट्री को नुकसान न पहुंचे।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि इसको रंग दिया जाय। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके लिए एक कमेटी बनायी थी और मुझसे वायदा किया था कि इसको रंगवा देंगे। मैं ने इस वायदे को हाउस में भी दुहराया था और मैं ने सारी पबलिक को और सारे साइंटिस्ट्स को अपील की थी कि वे इसके लिए कोई माकूल रंग निकालें। यह जो ११ नेशनल लेबारेटरीज हैं इन पर हमारे मुल्क के हर शख्स को फख्र है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे साइंटिस्ट हमको ऐसा

रंग नहीं बतला सके जिससे हम बनास्पती को रंग सकते। गवर्नमेंट की पालिसी इस मामले में वाजेह है। वह इसको रंगना चाहती है। कांग्रेस ने इसको पास किया है। महात्मा जी और विनोबा जी इसके हक में हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके हक में हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि बावजूद इसके कोई रंग नहीं मिल रहा है। इसके बारे में मैं आपसे चन्द बातें अर्ज करना चाहता हूं।

बहुत बरस हुए, पंजाब गवर्नमेंट ने एक रंग तजवीज करके भेजा जिसका नाम था आरेंज एस० एस०। उसके बाद एक और रंग सुहान एम० पी० बम्बई गवर्नमेंट ने और पंजाब गवर्नमेंट ने भेजा। साइंटिस्ट्स ने उसके बारे में तहकीकात की। उन्होंने कहा कि इसमें मिनरल रंग नहीं मिलाया जा सकता, कोई कोलतार का रंग हो या बैंजीटेबिल रंग हो। सन् १९५० में जैरामदास दौलतराम साहब ने यह फरमाया कि रतन जोत ऐसा रंग है जो हमको पसन्द है। लेकिन उन्होंने कहा कि वह ६००० टन चाहिये और यह हिन्दुस्तान में नहीं होता, काश्मीर से मंगाना पड़ेगा। उस वक्त मेरे स्वर्गीय दोस्त चौधरी मुख्तार सिंह साहब यहां पर थे। उन्होंने कहा कि आपको काश्मीर से मंगाने की जरूरत नहीं है, मेरठ जिले में ६ हजार टन रतन जोत मिल जायगी। लेकिन वह रंग साइंटिस्ट्स को पसन्द नहीं आया। वह रंग इसलिए पसन्द नहीं किया गया कि रंगने की एक शर्त यह थी कि रंग दबने में अच्छा हो। हमारे देश के एक बड़े साइंटिस्ट श्री सतीशचन्द्र गुप्ता हैं। उन्होंने घास के बारे में जो बहुत बड़ी वाल्यूम लिखी है। उन्होंने बनस्पति को रंगने के लिए कुछ रंग तजवीज किये। एक रंग ऑक्साइड ऑफ आयरन था। मैं ने कहा था कि अगर आप इसको खुरनुमा बनाना चाहते हैं तो किसी दूसरे रंग से भी रंग दीजिये ताकि वह दबने में काला न रहे। मैं यह नहीं चाहता कि वह चीज दबने में खुरनुमा न हो। जो इसको खाना चाहते हैं वे खायें। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि उसको रंग दिया जाय। मैं चाहता हूं कि उसको खुरनुमा बना दिया जाय लेकिन अगर उसको गर्म किया जाय और एक रंग हट जाय तो दूसरा रंग बना रहेगा। मैं ने कहा था कि अगर इसको उनके रंग से रंग दिया जायगा और किसी दूसरे रंग से भी रंग दिया जायगा तो नतीजा यह होगा कि अगर दूसरा रंग गर्म करने पर हट भी जायगा तो पहला रंग नहीं हटेगा, क्योंकि वह तो पक्का रंग है।

जो दूसरा रंग है वह फास्ट कलर नहीं है, और मुमकिन है कि वह हट जाय लेकिन आज तक इसकी तरफ तवज्जह नहीं हुई। श्री एस० एस० भटनागर ने हमें उस कमेटी में यकीन दिलाया कि साल के भीतर हम वनस्पति में मिलाने के लिये ऐसा रंग निकाल देंगे जो फास्ट होगा लेकिन वह रंग आज तक न निकला, उस कमेटी को हुए तीन चार वर्ष हो गये। मैं एक मिनट के वास्ते मानने को तैयार नहीं हूं कि अगर आनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसकी तरफ तवज्जह दें और इस बात की पूरी कोशिश करें कि कोई रंग ऐसा निकाला जाय जो वनस्पति में मिलाया जा सके तो वह न निकले। मुझे मालूम है कि यू० पी० गवर्नमेंट ने एक बड़ा इनाम बोल हुआ है कि कोई ऐसा रंग निकाले, कितने ही रंग उस कमेटी के सामने पेश किये गये लेकिन कोई रंग अभी तक पास नहीं हुआ, ताहम हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिये और मुझे पक्का यकीन है कि ऐसे रंग मौजूद हैं जिनके अन्दर कोई नुकसान नहीं है और साइंटिस्ट्स ने बेजा हुज्जत की हुई है। एक प्रकार का रंग अमरीका की नशनल कौंसिल आफ न्यूट्रीशन और गूट ब्रिटेन की न्यूट्रीशन कौंसिल ने पास कर दिया है और वह वहां पर सब खाने-पीने की चीजों में इस्तेमाल होता है, हिन्दुस्तान में भी इस्तेमाल होता है लेकिन उस रंग को वनस्पति में मिलाने के लिये हमारे साइंटिस्ट्स इस बिना पर रजामंद नहीं

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

होते कि उसमें कैंसर प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी है और कैंसर होजाने का खतरा है। अब मैं चूंकि साइंटिस्ट नहीं हूं, इसीलिये दावे के साथ तो मैं इस बारे में कोई बात कह नहीं सकता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ग्रेट ब्रिटेन और अमरीका ये दो मुल्क हरगिज इस चीज को पास नहीं कर सकते थे अगर उसके खाने से नुकसान होता या कैंसर होने का अंदेशा होता।

मैंने बहुत से सुझाव दिये हैं जिन पर सरकार को गौर करना चाहिये। ऐसे कितने ही रंग हैं जो वनस्पति में मिलाये जा सकते हैं। मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम कलराइजेशन आफ **वनस्पति** और वह किताब गवर्नमेंट के पास भी जरूर होगी। घी एडल्ट्रेशन कमेटी ने एक रंग की सिफारिश की और कहा कि कैरोटिन नामक रंग वनस्पति में मिलाया जा सकता है और ठीक से तो मैं नहीं कह सकता कि कैरोटिन के अन्दर ए० विटैमिन है या डी० विटैमिन है, तो उसके मिलाने से वनस्पति को वह विटैमिन भी मिल जायगा। गवर्नमेंट ने उस विटैमिन को तो वनस्पति में डाल दिया लेकिन यह मंजूर नहीं किया कि कैरोटिन रंग का वनस्पति में इस्तेमाल किया जाय। यह कहा गया कि ज्यादा हीट करने से उसका रंग हट जाता है और अगर वह वनस्पति में इस्तेमाल किया गया तो लोग उसको हटाने में लग जायेंगे। मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। यह आनरेबल प्राइम मिनिस्टर, श्री मुंशी और श्री थिरुमल राव के वायदे की इज्जत का सवाल है और किदवई साहब की वसीयत को आनर करने का सवाल है। श्री किदवई कोई ऐसे छोटे मोटे आदमी नहीं थे कि उनकी वसीयत को नजरअंदाज किया जाये और मुझे उम्मीद है कि सरकार उसको जरूर पूरा करेगी और इसका क्रेडिट हमारे नये आनरेबल मिनिस्टर को मिलेगा। मैं आज दुबारा उन बड़े बड़े अशखास और साइंटिस्ट्स की राय हाउस में नहीं रखना चाहता जिनका खयाल है कि वनस्पति मुजिर है, मैं इससे भी इंकार नहीं करता कि कुछ लोग ऐसे भी हैं और कुछ रायें ऐसी भी हैं कि वनस्पति मुजिर नहीं है लेकिन जो आम एतराजात उन के हैं जो वनस्पती के हक में हैं वे ये हैं जो मेरे नोट में दर्ज हैं :-

(i) Groundnut oil lasts longer, and does not become rancid, if it is hydrogenated.

(ii) The country does not possess enough ghee, and therefore, the groundnut oil serves a deeply felt need.

(iii) *Vanaspati* is easily transportable.

(iv) The present investment on *vanaspati* is about Rs. 25 crores, and 50,000 persons will get out of employment, if its manufacture is stopped.

(v) The middle-class people have taken to it, and their *izzath* will be gone, if they are forced to use groundnut oil.

(vi) It is claimed that in the process of manufacture of *vanaspati*, more oil is extracted from groundnut than in case it is extracted by the ordinary *kolhu*.

(vii) The sdientists say that its use is not deleterious to health, as compared with the uses of raw or refined groundnut oil.

सारा मसाला मेम्बर साहबान के सामने है और वह खुद फैसला कर सकते हैं कि वनस्पति नुकसानदेह है या नहीं है। इस मौके पर मुझे कोई लम्बा-चौड़ा जिक्र नहीं करना है और न मैं वनस्पति के हक में जो लोग हैं उनकी तरदीद करना चाहता हूं, खुद मेम्बर साहबान तरदीद कर लेंगे। मैं इसके लिये हाउस का और ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। मैं इस बारे में मेम्बर साहबान की खिदमत में एडल्ट्रेशन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जो नोट आफ डिस्सेंट मैं ने

लिखा था और जो आफिश्यल डाक्युमेंट का हिस्सा हैं, उसको पेश करता हूं और मेम्बर साहबान उसका मुलाहिजा फरमायें। मैंने मेम्बर साहबान की खिदमत में उस नोट को भेज दिया हैं। मैं बहुत अदब के साथ आनरेबल मिनिस्टर की खिदमत में अपने उस नोट को पेश करता हूं। उसमें मैंने सारे फायदे और नुकायस जो मेरी नाकिस अकल में आये, वह मैंने उस नोट में दर्ज कर दिये हैं और मैं हर एक मेम्बर साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा कि मेहरबानी करके जो कुछ उसमें मैंने अर्ज किया हैं उस पर गौर फरमायें।

आखिर में मैं ज्यादा न कहते हुए इतना अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक कि देश के बड़े बुजर्गों की रायों का सवाल हैं, यह दो किताबें मेरे हाथ में हैं, अगर आनरेबल मेम्बर साहबान चाहेंगे तो मैं उनकी कापी हर एक मेम्बर के पास भेज दूंगा। बनस्पति के सम्बन्ध में गांधी जी, विनोबा भावे और डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने अपने खयालात जाहिर किये हुए हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं हैं कि मैं एक एक करके उनको यहां पर सुनाऊं। मैं पुराने हाउस में पिछले मौके पर सन् १९४१ में उनको पढ़ कर सुना भी चुका हूं और जो मेम्बरान उस मौके पर मौजूद नहीं थे उनसे मैं अदब से अर्ज करूंगा कि उनका यह फर्ज हैं कि वह उन स्पीचेज को पढ़ें और फिर राय कायम करके उसके अनुसार आचरण करें। इतना मैं कह सकता हूं कि ९९ परसेंट इस देश के, कम-से-कम अपर इंडिया के इस बिल के हक में हैं ६ लाख आदमियों की दस्तखत इस बारे में इस हाउस में मैं पेश कर चुका हूं जो हाउस में मौजूद हैं जिसमें सैकड़ों डाक्टरों की राय भी मौजूद हैं और करीब सेंट परसेंट सिवाय बनस्पति के मैनुफैक्चरर्स को छोड़ कर हम पर मुत्तफिक हैं कि यह चीज बंद हो जानी चाहिये लेकिन अगर यह बंद न की जा सके तो कम से कम बनस्पति को रंग तो अवश्य ही दिया जाय, इससे कम से कम एडल्ट्रशन तो बंद हो जायगा। बनस्पति के कलराइजेशन में जो देर और रुकावट हो रही हैं उसके वास्ते हमारे कुछ एक साईंटिस्ट्स जिम्मेदार हैं जो कि कलर नहीं पेश करते और देश को गुमराह करना चाहते हैं यह कह कर कि इससे देशवासियों की सेहत को नुकसान नहीं पहुंचेगा। कुछ को छोड़ कर सब ने एक ही राय दी हैं कि यह नुकसानदेह चीज हैं और यह सेहत के वास्ते मुजिर हैं। अगर आपके नजदीक कांस्टीट्यूशन एक सेक्रेड चीज हैं, अगर हाउस उसमें यकीन करता हैं, गवर्नमेंट यकीन करती हैं तो गवर्नमेंट को ४७ और ४८ दफा की पाबन्दी करनी होगी वरना आप अपना यह दावा छोड़ दें कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं। इसके अलावा किदवई साहब की वसीयत को भी आपको पूरा करना हैं। उन्होंने पटने में यह यकीन दिलाया था कि इस सवाल को हल किया जायगा। इसलिये मैं अदब से अर्ज करूंगा कि अगर आपके दिल में कांस्टीट्यूशन की कोई वकअत बाकी हैं, देश की भलाई को कोई खयाल हैं और गरीब आदमियों की आवाज की बमुकाबले अमीर और पूंजीपतियों के आपके नजदीक कोई कद्र और वकअत हैं, इस देश के करोड़ों किसानों की भलाई आपके दिल में हैं तो उसका एक ही रास्ता हैं और वह यह हैं कि हिम्मत करके आप बनस्पति का मैनुफैक्चर बंद कीजिये लेकिन अगर वह संभव न हो तो कम-से-कम अपने वायदे को पूरा करने के वास्ते बनस्पति को कलर तो जरूर ही कर दीजिये।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं एक मिनट के वास्ते क्षमा चाहूंगा कि मैं विषय से हट कर पंडित ठाकुर दास भार्गव की कुछ बातों का जवाब दूं। पंडित जी ने अपना भाषण शुरू करते हुए कहा कि मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं और जरूरत से ज्यादा नहीं लूंगा। आप जानते हैं कि जब प्राइवेट मेम्बर्स बिल आता हैं तो अधिक से अधिक ढाई या तीन घंटे का समय होता हैं। अब तीन घंटे के समय में

[पंडित डी० एन० तिवारी]

से पंडित जी ने एक घंटा ले लिया, मुवर महाशय ने आध घंटा लिया और इस तरह आप देखिये कि बाकी हाउस के मेम्बरों के लिये कितना कम समय रह गया, आप समझ सकती हैं कि हमारे जैसे बैंक-बेंचर्स की क्या हालत होती होगी। इसलिये मैं सीनियर मेम्बर्स की खिदमत में अदब से अर्ज करूंगा कि बैंक बेंचर्स को जो नेगलेक्ट किया जाता है और उनके बोलने के लिये समय ही नहीं बचता उसके लिये आप आगे वाले जिम्मेदार हैं और हम बैंक बेंचर्स आप लोगों के इस रवैये के बिल्कुल खिलाफ हैं, इसको आप नोट कर लीजिये। आप लोग बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जाते हैं और वहां बिल पर बहस के लिये समय कम निर्धारित करते हैं और कुल समय आप लोग ही अपने लिये ले लेते हैं और हम लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल पाता, माफ करेंगे मुझे कि मैंने यह सब कहा, लेकिन यह वाकिया है।

अब मैं बिल पर आना चाहता हूं। मैंने बहुत गौर से मुवर महोदय की स्पीच को पढ़ा और सुना भी था। पंडित ठाकुर दास भार्गव की सपोर्ट को भी मैंने बहुत गौर से सुना है। मैंने मुवर साहब की स्पीच को फिर से पढ़ा है और मैंने उसमें तीन प्वाइंट्स पाये हैं जिनकी बिना पर वह चाहते हैं कि बनस्पति का मैनुफैक्चर बंद होना चाहिये और वह प्वाइंट्स ये हैं। जैसे उन्होंने कहा कि "It is as bad or as good as oil" दूसरी बात उन्होंने यह बतलायी कि "It is liable to be easily adulterated." और तीसरा प्वाइंट उनका यह था कि "We have to pay more for the oil products."

सारांश स्पीच का इन्हीं तीन बातों में निहित है।

मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यदि वह साइंटिफिक विश्लेषण कर देते तो बड़ी अच्छी बात होती। पंडित ठाकुर दास भार्गव या मुवर महाशय जो भाषण करते हैं वह सेन्टिमेन्ट्स पर होते हैं कि लोगों की यह राय है, लोग यह कहते हैं फलाने ने इस में यह कहा, फलाने ने इस में यह कहा। सीधी बात तो यह थी कि लेबोरेटरी में इस की एनालिसिस हो जाती। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने १७ सितम्बर को बोलते हुए कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जब मुझे यह विश्वास हो जायेगा कि इस में हार्मफुल प्रापर्टीज हैं तो मैं उस को बंद करवा दूंगा। प्राइम मिनिस्टर का यह वादा स्टैन्ड करता है। इस के लिये इस बिल और इतने भाषणों की जरूरत नहीं थी। केवल पंडित ठाकुर दास भार्गव और मुवर महाशय को यह साबित कर देना था कि यह हेल्थ के लिये इन्जूरियस है और यह तुरन्त खत्म हो जाता।

श्री भूलन सिंह (सारन उत्तर) : साबित है।

पंडित डी० एन० तिवारी : साबित नहीं है। साबित है यह सिर्फ लोगों की ओपीनियन से। मैं चाहता हूं कि साइंटिफिक बेसिस पर लेबोरेटरी में जांच कर के यह साबित होता।

सेठ गोविन्द दास (मंडला-जबलपुर-दक्षिण) : मिलावट के लिये कहा जाता है।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं बताता हूं, आप घबरायें नहीं।

मैं जानता हूं कि इस देश में जो लोग हैं वह अधिकतर गरीब हैं उन को घी मुअस्सर नहीं है। १ या २ प्रतिशत लोगों से अधिक लोगों को घी मुअस्सर नहीं है। अगर आज बनस्पति न होता तो उन गरीब लोगों की जाति बिरादरी या ब्याहों में इज्जत नहीं रह सकती थी। आप कहेंगे कि इज्जत क्या चीज है। आप दुनियां में धन पैदा करते हैं, पैसा पैदा करते हैं, केवल इस लिये नहीं कि अच्छा खायें, बल्कि इस लिये भी कि आप की प्रतिष्ठा हो।

आप देखेंगे कि कोई अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता है, वह खराब कपड़े से भी अपना काम चला सकता था। आप देखेंगे कि कोई अपने दरवाजे पर चार चार मोटरें रखता है, घोड़े रखता है, हाथी रखता है। क्यों ? केवल दिखावट के लिये। वैसे ही जो गरीब लोग हैं और जिन को घी नहीं मिलता उन के लिये दिखावट की चीज होती है कि मैं ने घी खा लिया, पूरी और कचौरी खा लिया।

श्री अलगू राय शास्त्री : स्वास्थ्य को बेच कर ?

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं स्वास्थ्य की बात बतलाता हूं। अगर आज बनस्पति न होता तो क्या होता ? रुपये का एक छटाक घी मिलता, आज एक रुपये का तीन छटाक घी मिल रहा है।

श्री अलगू राय शास्त्री : बनस्पति की वजह से क्या हो रहा है ?

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं अदब के साथ कहूंगा कि बनस्पति एक एडीशनल चीज है तब तो घी मंहगा हो गया और जरा इस को हटा दीजिये तो देखिये क्या होता है। यह तो सप्लाई एंड डिमान्ड का प्रश्न है, आप खुद ही सोच सकते हैं। (*Interruptions*). I don't yield. You will have your time when you reply.

मैं आप से बताना चाहता हूं कि इस देश में आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं, यह तो नुक्सानदेह है. आप गांजा पीते हैं, आप शराब पीते हैं उस को आप जारी किये हुए हैं। यह भी तो नुक्सानदेह है, आप इस को बन्द नहीं करते। बनस्पति से अधिक नुक्सानदेह चीजों को आप ने जारी रक्खा है। बनस्पति के बारे में मैं आप को गवर्नमेंट की रिपोर्ट बतलाता हूं। एक मर्तबा देखिये कि वैजिटेबिल प्रोडक्ट कितने समय में खराब होता है। साथ ही किस प्वाइंट पर वह नुक्सानदेह नहीं होगा इस की भी रिपोर्ट देख लीजिये। गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज में जो विश्लेषण हुआ है अगर उस को भी आप देख लेते तो मालूम हो जाता कि केवल सरसों के तेल को छोड़ कर जितने तेल हैं वह हानिकारक हैं क्योंकि उन.......

श्री अलगूराय शास्त्री : तिल का तेल तो अच्छा होता है।

पंडित डी० एन० तिवारी : मेरे पास जो रिपोर्ट है तेल की प्रापर्टी के बारे में और जो दूसरे अनुसंधान हुए हैं.....

श्री अलगू राय शास्त्री : तिल का तेल नुक्सानदेह है यह जिस ने कहा है उस लेबोरेटरी को बन्द करो।

पंडित डी० एन० तिवारी : सरसों के तेल के बारे में यह लिखा है :

> "Mustard oil has normally a low acid value; it is seldom above 4 per cent and its keeping quality is also good."

लेकिन और तेलों के बारे में उन्होंने कहा है कि चूंकि उन में ४ परसेन्ट से एसिडिटी ज्यादा निकलती है इस लिये वह हानिकारक होते हैं। हमारे यहां सरसों का तेल बहुत इस्तेमाल होता है, यू० पी०, बंगाल और बिहार में। लेकिन उस को तरकारी पकाने तक सीमित रखते हैं। उस की पूरी नहीं बनाते और न रोटी में लगाते हैं। अगर उस को रोटी के साथ पूरियां बना कर रख दिया जाय तो हम समझते हैं कि हमारी बेइज्जती हो गई। अब आप बतलाइये कि उस हालत में कि जिस आदमी को घी मिलता नहीं है,—मैं जानता हूं कि गांवों में भी आप चाहे जितना पैसा दे दीजिये, आप को घी नहीं मिलता है,—वह बेचारा क्या करे ? इस लिये मैं कहूंगा कि जब तक यह साबित न हो जाय कि बनस्पति नुक्सानदेह है और किस प्वाइंट के बाद नुक्सानदेह है, जब तक उस प्वाइंट तक न पहुंचे तब तक उस को बैन न किया जाय। मैंने जो आप की स्पीचें सुनी हैं उन में आप ने इस के

[पंडित डी० एन० तिवारी]

बैन करने पर जोर नहीं देते, आप चाहते हैं कि उस में रंग मिला दिया जाय। मैं इस को मानता हूं कि घी में एडल्टरेशन नहीं होना चाहिये। आप के पास पैसा हैं, आप दो छटाक का घी खा सकते हैं, उस में आप को एडल्टरेशन नहीं मिलना चाहिये। लेकिन हमारी तो मिलावट करने की आदत हो गई हैं। हम को इस को रोकना चाहिये। इस हाउस में यह बहस की जाती हैं, और कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यहां चीजें ठीक नहीं मिलती हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि यहां पर विष में भी मिलावट होती हैं, केवल घी में मिलावट होना कोई बड़ी बात नहीं हैं। हां, इस को हमें रोकना जरूर हैं, मिलावट नहीं होने देना हैं। लेकिन जो चीज हैं उस को आप देखें। आज हालत क्या हैं ? आज आप होटलों में जाते हैं, रेलवेज की डाइनिंग कार्स में हम खाना खाते हैं, सब जगह लिखा होता हैं 'प्योर वनस्पति ओनली'। अन्नपूर्णा के जितने भंडार हैं उन में भी लिखा होता हैं "वनस्पति प्योर" हम लोग जा कर खाते हैं। हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं वह इस को कराते चले जाते हैं सब होटलों में। डाइनिंग कार्स में भी यही इस्तेमाल होता हैं, उस के अन्दर नहीं हम देखते कि यह हमारी तन्दुरुस्ती के लिये नुक्सानदेह हैं।

श्री अलगू राय शास्त्री : खाली ही तो व्यवहार में लाते हैं, मिलाते तो नहीं ?

पंडित डी० एन० तिवारी : आप सादी रोटी खा सकते थे, लेकिन नहीं यहां सिर्फ दिखलाने का सवाल होता हैं, इज्जत का सवाल होता हैं। आप यह चाहते हैं कि लोग न समझें कि आप पूरी कचौरी नहीं खा रहे हैं।

श्री अलगू राय शास्त्री : ऐसा कभी नहीं होता।

Mr. Chairman: Order, order; let there be no interruption.

Pandit D. N. Tiwary: These people won't allow me to proceed. Panditji has taken 45 minutes.

Mr. Chairman: The hon. Member also need not yield.

Pandit D. N. Tiwary: I am not yielding. I am strictly relying तो मैं आप से कह रहा था कि कोई छिपी चीज नहीं हैं। आप कहते हैं कि रुकावट हो जाय, मिलावट न हो। हम लोग जानते हैं कि जितनी मिठाई की दूकानें हैं, जितने होटेल्स हैं सब में वनस्पति चलता हैं, घी नहीं चलता हैं। आप जा कर देखिये होटलों में। हम लोग जान बूझ कर खा रहे हैं, कोई धोखे में नहीं खा रहे हैं। यह मैं मानता हूं कि घी में मिलावट नहीं होनी चाहिये। उस में रंग मिलना चाहिये और गवर्नमेंट को प्रयत्न करना चाहिये कि जल्दी से जल्दी इस में रंग मिलाया जाय जिस में कि दूसरी चीजों में उस की मिलावट न हो सके।

मूवर महोदय ने कहा कि एक और कारण हैं वनस्पति को बन्द करने का कि वनस्पति में भी मिलावट होती हैं। मुझे सुन कर हंसी आई। वनस्पति खुद खराब चीज हैं तो उस में मिलावट क्या होगी ? और क्या आप समझते हैं कि पहले घी में मिलावट नहीं होती थी ? बिल्कुल गलत बात हैं यह कहना कि नहीं होती थी। हम लोग लड़कपन में सुनते थे कि घी में मिलावट होती हैं। उस में चरबी मिलाई जाती हैं। इस लिये आज जो मिलावट होती हैं, जब तक आप देश में ज्यादा घी पैदा करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक अगर उस में वनस्पति की मिलावट नहीं होगी तो दूसरी चीजों की मिलावट होगी।

अगर चर्बी मिली हो तो और भी खराब हैं। पहले सुअर की चर्बी घी में मिलायी जाती थी। उसमें कोई बू नहीं रहती और वह आसानी से घी में मिल जाती हैं। इस वनस्पति से वह और ज्यादा खराब होगी। हमारे यहां

एक पेड़ महुये का होता हैं। उसके फलों का तेल घी में मिला दिया जाता हैं। तो आप मिलावट को रोकने का प्रयत्न कीजिये। गवर्नमेंट पर जोर डालिये कि ज्यादा स्टाफ रखा जाय और मिलावट करने वालों को सख्त सजा दी जाय। लेकिन आप इस चीज को बन्द न करें जिसको ९० प्रतिशत लोग इस्तेमाल करते हैं और उनको उससे सैटिस्फेक्शन होता हैं, इसलिए नहीं कि वे इसको घी से अच्छा समझते हैं। वह जानते हैं कि वनस्पति घी से नीचे दर्जे की चीज हैं। लेकिन लोग इस को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि घी उपलब्ध नहीं हैं। तो मैं अर्ज करूंगा कि ऐसी चीज पर जोर न दीजिये जो हो न सकती हो और अगर आप इसको बन्द कर देंगे तो पीछे इसके लिए हमको और आप को लोग दोष देंगे। मैं देहात में रहता हूं। मैं ने देखा हैं कि शादी विवाह के अवसर पर लोग जानकर डालडा मंगाते हैं। यह वे इसलिए करते हैं कि वे घी नहीं खरीद सकते। और आप भी बारात में जायं तो आपको भी वही खाना दिया जायगा। यह बात और हैं कि आप उसको न खायं। तो जबतक हम अपने लोगों की फूड हैबिट्स नहीं बदलते, उनकी मेंटैलिटी नहीं बदलते, और जब तक हम उनको शुद्ध घी नहीं दे सकते तब तक इसको बन्द करने से क्या फायदा होगा। सवाल मिलावट को रोकने का हैं। आजकल सिनेमा में वनस्पति का बड़ा एडवर्टाइजमेंट किया जाता हैं और उसको बहुत फायदेमन्द बतलाया जाता हैं। ऐसी बात तो नहीं हैं। वह उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन हमको तो इस सवाल को, प्रैक्टिकैबिलिटी के ख्याल से देखना हैं। मैं चाहता हूं कि इस का साइंटिफिक एनेलेसिस किया जाय और इस के बारे में सही बात जनता को बतलायी जाय।

मुझे दो एक बातें और कहनी हैं। मैं ठाकुर दास जी जितना वक्त नहीं लूंगा। एक बार यहां पर इसको रंगने की बात आयी थी। पर कहा गया था कि वह रंग बाहर से मंगाना पड़ेगा। साइंटिस्ट्स ने उसके बारे में यह कहा कि कुछ दिन बाद वह रंग हट जाता हैं। तो मैं यह कहूंगा कि इस रंग को इस्तेमाल किया जाय और यह आर्डर कर दिया जाय कि जितने दिन में वह रंग हट जाता हैं उससे पहले ही वह माल बाजारों में बिक जाय। और जो न बिक सके उसे फिर से रंग दिया जाय जिससे जो मेन आब्जेक्ट हैं कि एडल्टरेशन न हो वह पूरा हो जाय। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान देगी कि एडल्टरेशन को रोका जाय और जबतक गवर्नमेंट पूरा घी न दे सके तबतक वनस्पति को बन्द न किया जाय।

Shri Bogawat (Ahmednagar South): I must thank you for giving me an opportunity to speak on this subject. This Bill is in the interest of the whole country. We know that nowadays real ghee is very hardly available and the only reason is that vanaspati oil or ghee is always added to real ghee. If you go to the towns or even the villages, you will find that the persons dealing in ghee always do this business of adulteration and get more money. There is adulteration throughout the country, I must say, and that is the reason why people do not get any real ghee—I do not say that they do not at all get, but there are very few people who give or sell real ghee—and in 90 per cent of the cases, the sellers adulterate real ghee with vanaspati ghee. This dishonesty is prevalent throughout the country. In order to avoid this and in order that the people of our country may get real ghee, it is quite necessary that some action or steps must be taken. There is a suggestion since long, and I am very glad to say that Pandit Thakurdasji is pressing his point since long, but in spite of attempts by several Members, it has not yet been arranged to colour vanaspati ghee. The industrialists are the persons who are after this vanaspati ghee and they do not want that this ghee should be coloured; otherwise, there should not be so much sale of this as it is prevalent now. There is

[Shri Bogawat]

a charge against the industrialists that it is the attempt of these people not to allow any such attempt to give a colour to vanaspati ghee. Otherwise this could have been done. Are there no scientists in our country who can do this? That is a lame excuse and I am very sorry to say that, although it was promised from time to time that vanaspati ghee would be coloured, it is not yet done. There are so many inventions by scientists and there are inventions of even atomic theories and today we have read in the papers something about the discoveries in barrage of clouds. Can there be no colouring of vanaspati ghee? There is some mischief going on and the persons dealing in this industry must be playing that mischief. I would request the Government and the Food Ministry to be very alert in bringing about the colouring of this ghee. You find that wherever you go, to a hotel, a station stall or a confectioner's shop, you never get any article except with the adulteration of vanaspati ghee, because it is very easy for them to do so and they get more profit. Since they get more money, they do not prepare the articles out of real ghee. It is very difficult for the common people or the middle class people to get real ghee, because real ghee cannot be differentiated from this adulterated ghee, that is, vanaspati ghee added to real ghee. It is a curse that the people in our country are not able to get pure ghee, and it is incumbent on the part of Government to see that the demand of the people of our country is satisfied. Unless it is done, I do not think there will be justice.

There is another charge that vanaspati ghee is prepared from groundnuts and no more export of groundnuts is there for this reason, namely, that the industrialists should get cheap groundnuts and be able to make more profits. That is also the charge of several persons dealing in groundnuts. This is also a very important point, and there must be some check on the preparation of vanaspati ghee. Unless that is checked or there is some control, the price as well as the production of vanaspati oil would do much harm to the people of the country. The previous speaker said that it is not injurious to the health of the people, but it is not a fact. It is quite clear and certain that the health of the people is injured on account of use of the vanaspati oil or ghee. Real ghee is very much helpful for health purposes; vanaspati oil or ghee is not so much helpful but on the other hand is injurious—of course, there is difference of opinion on this among doctors and scientists. I am not a scientist, but I can say that it is not as helpful as real ghee. It is quite necessary that vanaspati ghee or oil should be coloured and that is the demand. In order to avoid adulteration, in order that people should get real ghee, in order that it should not be injurious to the health of the people and in order that these industrialists who prepare this vanaspati oil should not get undue advantage and profiteer, it is very necessary that much attention should be given to this problem. I request the hon. the Food Minister who is very energetic and who is an expert, to give his keen attention to this problem and solve this very important question before our country.

सेठ गोविन्द दास : यह कहा जायगा कि यह विषय बार बार हमारे सामने आता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कोई तीस वर्ष से मैं स्वयं देख रहा हूं कि यहां या राज्य सभा में किसी न किसी रूप में यह पेश होता रहा है। जहां तक मुझे याद है सन् १९२६ में पहले पहल कौंसिल आफ स्टेट में, उस वक्त वह कौंसिल आफ स्टेट कहलाती थी, कौंसिल आफ स्टेटस नहीं, श्री राम सरन दास ने इस विषय को उठाया था। मैं उस समय उस सदन का एक सदस्य था। और उस समय वनस्पति के कारखाने भी शायद भारतवर्ष में इने गिने ही थे? उसके बाद न जाने कितनी बार यह विषय उठाया गया। कुछ बातें जनता की ऐसी होती हैं कि चाहे वे कितनी ही पुरानी क्यों न हो जायें, वे सदा ही नई रहती हैं।

इस विषय का गोवध से बहुत बड़ा सम्बन्ध है। सब लोग इस बात को जानते हैं कि मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो यह मानते हैं कि इस देश की आत्मा को तब तक संतोष नहीं हो सकता जब तक कि गाय के खून की एक बूंद भी इस पुण्यमयी भूमि पर गिरती है। इस विषय में पंडित जवाहरलाल जी का चाहे कुछ भी मत हो, चाहे वह कुछ भी कहें, वैसे हम सब उनके सच्चे अनुयायी हैं लेकिन गोवध का विषय ऐसा है कि जिसमें पंडित जी कुछ भी कहें या कोई भी कुछ कहें, हम इस मामले में झुकने को तैयार नहीं हैं और गोवध बंद किया जाय इस मांग पर दृढ़ बने रहेंगे। मैं इस बात को भी जानता हूं कि यदि इस देश का इस सम्बन्ध में जनमत लिया जाय तो देश के ९९ प्रतिशत व्यक्ति इस पक्ष के निकलेंगे कि इस देश में गोवध बंद हो और वनस्पति को कोई रंग दिया जाय अन्यथा उसका जमाना बंद किया जाय। यदि हमें इस देश में प्रजातंत्र को चलाना है तो हमें जनता की उचित भावनाओं का आदर करना चाहिये।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): इन दोनों सवालों का एक दूसरे से क्या सम्बन्ध है?

सेठ गोविन्द दास: जी हां, दोनों सवालों का एक दूसरे से बड़ा सम्बन्ध है। स्वयं त्यागी साहब इधर हाउस में बैठ कर इस के हक में थे। अपनी बात को सिद्ध करने के लिये मैं बार बार ऐसे साहित्य को पेश कर सकता हूं जिससे सिद्ध हो जायगा कि गोवध के प्रश्न से वनस्पति का घनिष्ट सम्बन्ध है और इन दोनों को अलग अलग नहीं रक्खा जा सकता।

तो मैं आपसे कह रहा था कि कुछ ऐसे विषय हैं कि जो विषय चाहे कितने ही पुराने क्यों न हो जांय, वे सदा नये रहेंगे और उनमें ये विषय भी हैं और इनका एक दूसरे से अन्योन्य सम्बन्ध है, अर्थात् गोवध का बंद होना और उसी के साथ वनस्पति को रंग दिया जाना और यदि यह संभव न हो तो उसका जमाया जाना बंद होना चाहिये।

अभी पंडित ठाकुर दास भार्गव ने नये कृषि मंत्री जी को बधाई दी। मैं भी उस बधाई में उनका साथी होना चाहता हूं। मैं भी उनको हृदय से बधाई देता हूं। वे एक ऐसे मंत्री के स्थान पर आये हैं कि जो अपनी कार्य पटुता के लिये सारे देश में प्रसिद्ध थे, भले ही उनका किसी से अन्य विषयों में मतभेद रहा हो। यह लोग जानते हैं कि किदवई साहब से जब टंडन जी हमारी कांग्रेस के सभापति थे, उस वक्त हमारा बड़ा मतभेद रहा था, लेकिन तो भी श्री किदवई उन लोगों में से एक थे जिनको मैं बहुत ज्यादा इज्जत की निगाह से देखता हूं और मेरा तो यह विश्वास है कि यदि वे और जीवित रहते तो इस देश में कल या परसों गोवध भी बंद हो जाता और वनस्पति के लिये भी कोई न कोई रास्ता निकल आता। अब नये मंत्री जो उनके स्थान पर आये हैं, श्री जैन को मैं बधाई देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि वे इस विषय में और आगे बढ़ेंगे क्योंकि वह अपना नाम खाली अजीतप्रसाद नहीं लिखते बल्कि अपने नाम के साथ "जैन" भी लिखते हैं जहां तक जैनियों की अहिंसा का सवाल है वह केवल इस देश में ही नहीं, सारे संसार में विख्यात है।

अब प्रश्न यह है कि इस वनस्पति का हमें क्या करना है। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि कुछ लोग यह समझते हैं कि वनस्पति हमारी तंदरुस्ती को नुकसान नहीं पहुंचाता तो ऐसे लोग भी हैं, और बहुत अधिक तादाद में हैं, और वैज्ञानिकों में भी हैं, जो यह मानते हैं कि नहीं, इससे हमारी तंदरुस्ती को हानि पहुंचती है। कई सज्जन यह कहा करते हैं

[सेठ गोविन्द दास]

कि हमारे यहां वनस्पति इतने वर्षों से खाया जाता है, हमारे यहां तो इससे कोई हानि नहीं पहुंची। जिनको वनस्पति से कोई हानि नहीं पहुंची उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो कि मांसाहारी हैं, जो लोग मांस खाते हैं और मांस के साथ यदि वनस्पति भी खाते हैं तो उनको उतना नुकसान नहीं पहुंचता। फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे तत्काल नुकसान नहीं पहुंचता और धीरे धीरे हानि पहुंचती हैं। वनस्पति ऐसी चीजों में से एक है जिनसे चाहे तत्काल हानि न पहुंचे मगर धीरे धीरे हानि पहुंचती है। एक बहुत बड़े नेता ने मुझ से कहा, उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, कि कुछ देश ऐसे हैं कि जहां पर दूध का अथवा छाछ का उपयोग नहीं किया जाता लेकिन वहां के लोग भी तंदुरुस्त रहते हैं। उन्होंने मुझ से कहा जापान ऐसा देश है, चीन ऐसा देश है। सत्य बात है, इसमें कोई संदेह नहीं। जापान और चीन में भी हो आया हूं और मैंने देखा है कि वहां दूध और छाछ नहीं पी जाती। लेकिन आप जानते हैं कि इसी के साथ वह क्या क्या खाते हैं। कोई ऐसी चीज बाकी नहीं है दुनिया में जो वह न खाते हों। मेंढक, वह खाते हैं, सांप वह खाते हैं और चूहा वह खाते हैं। लेकिन हमारा भारतवर्ष एक ऐसा देश है कि जो निरामिष भोजन करने वालों का देश है। मैं वैज्ञानिक तो नहीं हूं लेकिन मेरा यह निवेदन है कि चूंकि वह मांसाहारी हैं और उनसे कोई चीज बची नहीं है इसलिये उनको घी और दूध वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। अकेले एक हमारा देश ऐसा है जिसमें निरामिष भोजन करने वालों की जितनी बड़ी संख्या है उतनी बड़ी संख्या शायद दुनिया के किसी देश में नहीं है। मैं जब इस देश में ऐसा प्रचार होते देखता हूं कि लोग यहां पर मछलियां खायें, अंडे वगैरह खायें तो मेरे हृदय पर एक बहुत बड़ा आघात लगता है। शताब्दियों के प्रयोग के बाद और नाना प्रकार के दर्शन पर विचार करने के बाद हमने इस देश में निरामिष भोजन का सिद्धान्त अपनाया, निरामिष भोजन को हमने सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना, देश में खाद्य पदार्थों में कमी आने के कारण दूध घी की कमी हो जाने के कारण आज इस देश में हम यह प्रचार करें कि यहां पर लोगों को मछलियां खानी चाहियें, लोगों को अंडों का सेवन करना चाहिये, कम से कम मेरे हृदय को ऐसा सुन कर बड़ी भारी ठेस पहुंचती है, इस निरामिष भोजी देश में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह वनस्पति सबसे अधिक हानिकारक चीज है। पर यदि हम इस विषय को छोड़ भी दें, थोड़ी देर के लिये हम यह मान भी जांय कि यह वनस्पति हानिकारक नहीं है जैसा कि कुछ वैज्ञानिकों की राय है, यद्यपि जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि वैज्ञानिकों में भी आपसे में इस विषय को लेकर बड़ा मतभेद है, तो भी कम से कम कोई यह तो स्वीकार नहीं कर सकता कि दो रुपये की चीज चार रुपये सेर के हिसाब से बिके। किसी को यदि वनस्पति खाना है तो वह यह जान कर खाये कि वह वनस्पति खा रहा है। इसलिये मेरा यह निवेदन है और जो हमारे इस विषय में सब से बड़े विशेषज्ञ हैं पंडित ठाकुर दास भार्गव हैं, वह भी इस बात को कह चुके हैं कि यदि वनस्पति में कोई रंग डाला जा सकता हो तो डाल दिया जाय।

पर यदि रंग उसे नहीं दिया जा सकता तो फिर हमारा निवेदन यह हो जाता है कि उस का जमाना ही बन्द कर दिया जाय। यदि आप उस का जमाना बंद कर दें और उस को यदि आप तेल के रूप में बेचें तो जैसा अभी हमारे एक साथी ने कहा कि लोग अपनी इज्जत के लिये इस तरह की चीजों का उपयोग करना चाहते हैं, वह बिना जमाये हुए वनस्पति तेल का उपयोग कर सकते हैं। इस में उन को कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी।

जिन कारखानों में यह वनस्पति तैयार होता है उन कारखानों की मशीनरी को अगर आप देखें तो आप को मालूम होगा कि कुल मशीनरी का केवल पांच फीसदी हिस्सा ऐसा है जो कि इस तेल के जमाये जाने का काम करता है ९५ फीसदी मशीनरी में उन के यहां केवल इस का तरल रूप बनता है। इस तरह से उन कारखानों को कोई बड़ी भारी हानि पहुंचे ऐसी बात भी नहीं है। अगर कोई वनस्पति खाना चाहेगा तो वह उस को तरल रूप में प्राप्त रहेगा। साथ ही उन को वह उसी कीमत में मिलेगा जिस कीमत में कि वनस्पति को मिलना चाहिये। हमारी आपत्ति तो यह है कि दो रुपये सेर की चीज चार रुपये सेर में बेची जाय, यह तो अनुचित है। वनस्पति जितनी आसानी के साथ घी में मिलाया जा सकता है उतनी आसानी के साथ अन्य चीजें नहीं मिल सकतीं।

जो वैज्ञानिक हाइड्रोजन बम और एटम बम जैसी चीजें बना सकते हैं वे ऐसा रंग नहीं निकाल सकते यह मेरी समझ में नहीं आता। मेरा यह निवेदन है कि यदि आज तक रंग नहीं निकला और नहीं निकाला जा रहा है, तो इस का कारण केवल एक है कि हमारी सरकार इस सम्बन्ध में बहुत दत्त चित्त नहीं है। यदि पंडित जी की, यदि हमारे कृषि मंत्री जी की इच्छा, यह होती कि नहीं हमें तो इस प्रकार का रंग वनस्पति में देना ही है तो मेरा यह विश्वास है कि तीन दिन के अन्दर रंग निकल आता, इस के लिये वर्षों की आवश्यकता नहीं थी। आप इस विषय को किसी भी दृष्टि से विचार कर के देखें, आप को यह स्वीकार करना ही होगा कि कम से कम वनस्पति लोग घी के रूप में खरीदें यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हम ने तो यह भी कह दिया था कि यदि सरकार इस रंग की खोज नहीं कर सकती है तो जितने वैजिटेबिल के कारखाने हैं उन को ही इस बात की नोटिस दी जाय, विनोबा जी ने भी यह कहा, था, कि आप लोग तीन महीने के अन्दर या छः महीने के अन्दर ऐसा रंग निकालें जिस को आप वनस्पति में मिला सकें। यदि आप तीन महीने या छः महीने के अन्दर इस प्रकार का रंग नहीं निकाल सकेंगे तो हम आप के द्वारा वनस्पति का जमाया जाना बन्द कर देंगे। मेरा यह विश्वास है कि अगर सरकार इस रंग को नहीं निकाल सकती है, सरकार के वैज्ञानिक नहीं निकाल सकते हैं, यद्यपि यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि क्यों नहीं निकाल सकते, मैं ने तो निवेदन किया कि यदि सरकार चाहती है और इस सम्बन्ध में कुछ दिलचस्पी लेती है तो रंग निकाल सकती है लेकिन अगर वह नहीं ही निकाल सकती है तो वनस्पति वालों को इस बात का स्पष्ट नोटिस दे दिया जाना चाहिये कि वे तीन महीने के अन्दर या छः महीने के अन्दर इस प्रकार का रंग निकालें जिस से वे वनस्पति को रंगें और अगर वे इस प्रकार का रंग नहीं निकाल सकते हैं तो इतने समय के अन्दर उस का जमाया जाना बन्द कर दिया जायेगा। यदि इस प्रकार का प्रयत्न हुआ तो मेरा विश्वास है कि कारखाने वाले इस प्रकार का रंग निकाल लेंगे क्योंकि उन को सब से अधिक भय होगा इस का जमाया जाना बन्द करने का। मैं फिर कहना चाहता हूं कि यदि हम को इस देश में प्रजातंत्र चलाना है, तो प्रजातंत्र में हम को प्रजा की जो इच्छा है उस का ध्यान अवश्य रखना होगा। गोवध के सम्बन्ध में मैं जानता हूं कि प्रजा की क्या इच्छा है, वनस्पति के सम्बन्ध में मैं जानता हूं कि प्रजा की क्या इच्छा है। हमारा कांग्रेस का जो संगठन है, जिस के हम सब से बड़े भक्त हैं और आज भी हम यह मानते हैं कि इस से बड़ा कोई संगठन, केवल इस देश में नहीं, लेकिन गैर सरकारी दृष्टि से, शायद दुनियां के किसी देश में नहीं, ऐसे संगठन में भी, हमारे अखिल

[सेठ गोविन्द दास]

भारतीय कांग्रेस कमेटी के अहमदाबाद अधिवेशन में, इस प्रकार का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका था कि वनस्पति का जमाया जाना बन्द किया जाय। यदि हम इस को प्रजातंत्र की दृष्टि से देखें, प्रजातंत्र की शब की दृष्टि से देखें, कांग्रेस संस्था की दृष्टि से देखें तो कांग्रेस की ही जो सरकार हैं उस के लिये लाजिम्मी हो जाता है कि प्रजा की इच्छा के अनुसार और कम से कम इस मिलावट के पाप को रोके, मैं इसे पाप कहता हूं क्योंकि कोई भी देख सकता है कि दो रुपये सेर की चीज चार रुपये सेर में बिकती है, और इस मिलावट के कारण बिकती है, सरकार भी इस पाप की भागी होती है। हम आवश्यक समझते हैं कि अब इस विषय में कोई न कोई कदम तत्काल उठाया जाय।

अन्त में मैं आप से यह भी कह देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जब तक कुछ नहीं होगा तब तक यह विषय सदा उठता रहेगा, जनता में इस विषय में सदा आन्दोलन होता रहेगा, जो कोई अच्छी बात नहीं हैं। इस लिये जिन सज्जन ने इस विधेयक को रक्खा हैं उन का मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री बी० डी० शास्त्री (शाहडोल सिटि): मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं। वस्तुतः देखा जाय तो इस किस्म के कई विधेयक संसद के सामने रक्खे गये और उन पर काफी वादविवाद हुआ। किन्तु खेद का विषय तो यह हैं कि आज तक उन का निर्णय नहीं हो सका। जब पिछले समय यह फूड एडल्टरेशन बिल आया था तो सब से जोरदार शब्दों में यह बात कही गई थी, सभी सदस्यों ने कहा था, कि सब से बड़ा अपमिश्रण जो होता हैं वह अपमिश्रण हैं शुद्ध घी में वैजिटेबिल का। मैं समझता हूं कि और एडल्टरेशन के साथ साथ इस पर ज्यादा जोर दिया गया कि सब से हानिकारक जो चीज हैं वह यह हैं कि अगर लोग शुद्ध घी का उपयोग करना चाहते हैं तो हमें शुद्ध घी मिलता नहीं हैं। अभी एक महाशय ने विवाद के सिलसिले में यह बताया कि घी की कमी हैं और इज्जत का प्रश्न हैं इस लिये यह आवश्यक हैं कि इस घी को जारी रक्खा जाय। आज का विवाद इस घी को रोकने का, इस को अस्तित्व में रखने या न रखने का प्रश्न नहीं रखता। आज का विवाद तो इस बात पर जोर देता हैं कि इस घी में रंग का मिलाना आवश्यक हैं और यदि इस घी को रंग दिया जाय तो इस में शक नहीं कि जो लोग शुद्ध घी चाहते हैं उन को शुद्ध घी मिल सकेगा। सरकार का भी कुछ बोझ हल्का हो जायेगा कि आज जो अपमिश्रण सारे देश में हो रहे हैं, उन अपमिश्रणों में से जो सब से बड़ा अपमिश्रण हैं उस से कुछ बचत हो जायेगी और लोगों को शुद्ध घी मिल सकेगा।

मैं समझता हूं कि हमारा स्वास्थ्य शुद्ध घी पर निर्भर करता हैं, हम कितना भी प्रयत्न करें, कितने भी देहातों में जा कर घूमें, हम को शुद्ध घी नहीं मिलता क्योंकि देहातों में यह मिलावट का रोग फैल गया हैं और लोग पड़ोस के बाजार से वनस्पति को ले जाते हैं और शुद्ध घी में मिला कर गांवों में बेचते हैं, शहरों में बेचते हैं और सारी चीजें उसी से बनती हैं। जिन जगहों पर लिखा होता हैं कि यहां वनस्पति घी का सामान बिकता हैं, वहां तो वनस्पति हैं ही, लेकिन जिन जगहों पर लिखा होता हैं कि यहां शुद्ध घी का सामान मिलता हैं, मैं दावे के साथ कहूंगा कि वहां पर भी शुद्ध घी का सामान नहीं मिलता। हालांकि कहीं पर उन लोगों ने लिख रक्खा हैं कि वैजिटेबिल सिद्ध करने वाले को पांच सौ रुपया मिलेगा कहीं लिख देते हैं कि एक हजार मिलेगा। लेकिन पता नहीं कि साबित करने वाले कैसे हैं और सरकार की मशीनरी कैसी हैं जो साबित नहीं कर सकती कि वह देशी घी का सामान नहीं हैं।

मैं तो इन शब्दों को जोर देकर कहूंगा कि यह अपमिश्रण सारी दुकानों में होता हैं। इस

का मतलब यह हैं कि देश के अन्दर शुद्ध वस्तु मिलना एक मुश्किल सी चीज हो गयी हैं।

कुछ लोगों का कहना हैं कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वनस्पति घी बाजार में बिके। कहा जाता हैं कि लोग इसं इसलिए गृहण करते हैं कि उनके पास अच्छा घी खरीदने को पैसा नहीं हैं। यह निर्वाचित सदस्यों की संसद हैं, और यहां पर जब जब यह प्रश्न आया, जब जब अपमिश्रण का विधेयक आया, तो एक दो को छोड़कर बाकी सभी सदस्यों ने जोरदार शब्दों में कहा हैं कि चाहे कुछ भी हो इस घी को कतई बन्द कर दिया जाय। कम से कम इसका अपमिश्रण तो बन्द हो ही जाय। यह बात बहुत सम्भव हैं कि इसको रंगने के लिए किसी रंग का आविष्कार हो जाय। मैं समझता हूं कि सरकार चाहे और रंग न मिले यह गलत चीज हैं। आज विज्ञान का युग हैं। आज अणुबम का आविष्कार हो रहा हैं, दुनिया में रोज नई नई चीजें बन रही हैं। तो क्या आजकल घी को रंगने के लिए रंग नहीं बन सकता? मिठाइयों को रंगा जाता हैं लेकिन वैजीटेबिल घी के लिए रंग नहीं हैं। इसके न मिलने का असली कारण यह हैं कि देश के अधिकारी वर्ग के मस्तिष्क में परिवर्तन नहीं हुआ हैं। अभी उनकी मनोवृत्ति नहीं बदली हैं। अगर वह चाहने लगें तो एक घंटे में ऐसा रंग मिल सकता हैं। इस वक्त भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह का रंग रखे हुए हैं। मैं कहूंगा कि एक भीतरी मशीनरी भी काम कर रही हैं जो कि रंग बनाने वाले वैज्ञानिकों पर जोर डाल रही हैं और यही कारण हैं कि रंग नहीं बन पा रहा हैं। अगर सरकार इस बात को स्वीकार करे कि घी का रंग बन जाय तो जैसा कि मैं ने पहले कहा एक घंटे में रंग बन जायगा, देरी नहीं लगेगी। अगर सरकार चाहे तो निश्चय हैं कि वह रंग मिल जायगा। मैं आशा करूंगा कि जब सारे लोग चाहते हैं और प्रश्न यह हैं कि एडल्टरेशन न हो और शुद्ध घी मिले तो यह बहुत जरूरी हैं कि सरकार रंग का आविष्कार करे और डालडा घी में रंग का प्रयोग हो।

Shri Dabhi (Kaira North): I rise to support the motion moved by my hon. friend Shri Jhulan Sinha that the Bill to provide for the prohibition of manufacture and sale of vanaspati be taken into consideration.

My hon. friend Pandit D. N. Tiwary said, first prove that vanaspati is injurious by any scientific method. I would like to remind him that a few years ago, experiments were carried on in the Government Research Institute at Izatnagar. These experiments showed that in the third generation, the rats which were fed on vanaspati became blind.

Shri Tek Chand (Ambala—Simla): How many men have become blind?

Shri Dabhi: I would reply to every point raised. The point is this. At that time, the Government was perturbed and the whole country was perturbed. We know that experimentation in food was going on with rats. If this food is injurious to rats, it would be equally injurious to human beings. During that time, I had brought forward a Bill for prohibiting the manufacture and sale of vanaspati, in the Bombay Legislative Assembly. Dr. Gilder who was in charge of the Health Department, while replying to this point about experiments, said that it was found that though the rats had really become blind, it was not due to vanaspati being mixed with food, but that it was due to the fact that the rice was an inferior Bengal variety. In Bengal, there are also poor people who may be fed on inferior variety of rice. All of them are not blind. However, that was the argument. My point is this. Those people were also scientists. Were they wrong? There were some scientists who had come to the conclusion, after experiments that vanaspati was injurious to a certain extent. They said three generations. Vanaspati may not be injurious immediately; but it may be injurious in the long run. As was pointed out by Seth Govind Das, there are certain things which may

[Shri Dabhi]

not be injurious immediately, but which may take effect after a long time. It may not be injurious now because those who take vanaspati may take other food which is rich.

As I said, Government were perturbed and again experiments were conducted in other laboratories under the auspices of the Ministry of Food and Agriculture, on the comparative nutritional value of edible oils, hydrogenated oils and ghee. What was the conclusion arrived at? The conclusion was that hydrogenation does not improve the nutritional value of oil, that compared to the other oil groups, the hydrogenated oil did not produce any deleterious effect or distressing symptoms peculiar to the animals receiving it, that this is the case of vanaspati of melting point 37 degrees centigrade and that this may not be applicable to vanaspati of a higher melting point. Even taking for granted that these experiments were quite all right, what do they say? They say negatively that vanaspati is not deleterious as compared to other oils. The experiments have shown that vanaspati is not at all superior to any ordinary oil and that too when it is of the melting point 37 degrees. If it is of more than 37 degrees melting point, perhaps, it may be injurious also. From these experiments, it is quite clear that though it may not be injurious, it is not at all superior even to ordinary oil. Vanaspati is generally manufactured from groundnut oil. It is not superior to sesamum oil or other oils. After all, you can say that it is not injurious. The question arises, even if it is not injurious, it is not superior and why, then, people have to pay for it a higher price, and why should its manufacture be allowed, making the people pay a higher price for it. There cannot be any doubt,—everybody has admitted it—that vanaspati is the greatest adulterant of ghee, and that as a result of this adulteration which is going on on a large scale, it is not possible to get any good ghee whatsoever. Every one knows to what extent adulteration is going on and Government themselves have admitted it. In answer to my Starred Question No. 74 asked on 6th November 1952 in this very House, *viz.*, "whether it is a fact that adulteration of ghee with vanaspati is going on to a large extent in the country," hon. Dr. P. S. Deshmukh replied stating: "Yes, Sir, it is a fact".

Then, an article appeared in the July 1950 issue of the *Journal of Scientific and Industrial Research* embodying the analysis of prevailing samples of ghee in Bangalore and Mysore which showed that only 9 per cent was ghee. 33 per cent had no trace of ghee, 33 per cent had only a trace of ghee and 25 per cent contained very little ghee.

A meeting of the representatives of the Go Seva Sangh and Vanaspati Manufacturers' Association was held under the chairmanship of Shri Jairamdas Daulatram, the then Minister of Food and Agriculture of the Central Government, on the 14th September, 1948. The report of the proceedings of this meeting is incorporated in the pamphlet entitled *"Hydrogenation of edible oils should stop"*. At page 18 of this pamphlet—these are very important words—it is stated:

> "In this meeting the representatives of the Go Seva Sangh produced samples of refined oil and Vanaspati. A sample was shown in which a few drops of genuine ghee were put in the refined oil. It passed off for ghee. The sample of vanaspati had the colour and odour of ghee. The manufacturers' representatives were asked whether it was they who put the odour. They admitted that it was they who did it and explained that they did everything so that vanaspati may resemble ghee."

That is the state of affairs at present.

There is one important point with regard to nutritive value. It is now established beyond doubt that adulteration of vanaspati with ghee

is going on on a very large scale. Now, with regard to this effect of adulteration, I am reading from the *Health Bulletin* No. 23 published by the Government of India in 1951. This is what is stated in this *Health Bulletin*.

> "Animal fats such as butter or ghee contain vitamin A, but when they are adulterated with vanaspati, the vitamin content of such samples will get diminished."

So, it means that even the original vitamins that were contained in the ordinary ghee, when vanaspati is adulterated with it, will also disappear to a very large extent. So, two things are established beyond doubt, that vanaspati may be injurious if it is not of a particular degree melting point, and it is not superior to ordinary oil. Now, the question is why should then people be mulcted?

My friend Mr. Tiwari who is not here was stating: "Why should people have to pay for ghee? They get vanaspati at a cheaper price than ghee, and therefore they buy it." I shall reply to that, but then one thing is certain from the Government report that at present the annual production of vanaspati is about 2 lakh tons. You will see it is equal to 44,80,00,000 lbs. Let us suppose that out of this only 30 crores lbs. of vanaspati is sold unadulterated. If we calculate that at least four annas per lb. is charged more for vanaspati than ordinary ghee, it comes to Rs. 7,50,00,000. Then, adulteration is going on on a large scale, but I have calculated that only 14,80,00,000 lbs. are used for adulteration with ghee, and when it is adulterated with ghee, it means that the people who buy this adulterated stuff have to pay the price of ghee because it is sold as ghee. Now, for every lb. these *vanaspatiwallas* or the traders get at least Rs. 1-4-0 per lb. and if we calculate in this way, it comes to Rs. 18,50,00,000. So, we are mulcted on the one hand by being charged a higher price for a stuff which is not superior to ordinary oil and on the other by adulterating this stuff with ghee for which people are mulcted to the extent of Rs. 26 crores every year. From this point of view, it is a huge drain on the ordinary people. We say that our people are very poor, but then this is the case, and that too without getting any nutritive value. This is one of the reasons.

Apart from that, there may be certain difficulties and it may not be possible to stop this. But I am of opinion that unless this vanaspati is prohibited altogether, adulteration will never end.

Shri Algu Rai Shastri: You are right.

Shri Dabhi: It is said that by sending it to the laboratory, adulteration can be found out. But this adulteration has now spread throughout India, even in small villages, and how is it possible to send it to a laboratory from a village?

The Ghee Adulteration Committee which was appointed has definitely stated that even if you add some oil, adulteration could not be stopped and that could never under the circumstances be detected. Therefore, adding of sesamum oil is no solution.

I do not know where is the necessity for solidification of this vanaspati. It is argued that vanaspati as ordinary oil may be impure, it gets rancid. I do not want to go into that, but taking it for granted that it is a fact, then what is the remedy? Let the manufacturer purify that oil. Let him remove all the impurities and sell it to the people, so that people may not have to pay the same price on the one hand, and on the other hand it cannot be adulterated with ghee.

Then, it is argued that oil has to be hydrogenated because people do not like it in its liquid form, and therefore it should be in a solid form. In the cold season ghee becomes solidified, but nobody takes it in a solid form. We use it in the liquid form for spreading it on *chappati* or serving on rice. Again when we use it for frying *puris* and cooking vegetables, it gets into liquid form. Where is there the necessity of doing *dravida*

[Shri Dabhi]

pranayam here? In *dravida pranayam*, instead of catching hold of the nose directly, they put the hand round the neck and then catch hold of the nose. This suggestion is also just like that. They say, it should be solidified first; then, it should be liquified; where is the sense in doing that? I do not understand this. If Government feel that they should not stop the manufacture of Vanaspati, then they must provide purified ghee, without any impurities in it. If they want that it should be there, let the manufacturers be asked to purify oils. But where is the necessity of solidifying a thing, which is going to be taken only in a liquid form? (*Interruptions*) My hon. friend Pandit Thakur Das Bhargava has stated that this vanaspati is also being adulterated. But the ordinary people do not know that. They go by what appears in the newspapers, namely that vanaspati is the only thing in the world, which is pure and unadulterated.

My hon. friend Pandit D. N. Tiwary asked, how is that possible, how is it that vanaspati can be adulterated? I shall only read a few lines from the *Harijan* dated 19th August 1950, from an article entitled 'Vanaspati also adulterated'. This article reproduces what the *Hindusthan Standard* wrote in connection with a particular case on this matter. A particular manufacturer was convicted for adulterating vanaspati with some inferior stuff, and the Calcutta Magistrate sentenced him to some imprisonment or fine. The *Hindusthan Standard* of Calcutta, in its issue of July 27, 1950, has referred to this conviction, and this is what it wrote:

> "It appears that the adulteration in the particular form that figured in the Calcutta case was done in the factory itself, according to a design, in the formulation of which some scientists' brain must have made its proper contribution."

So, the capitalists use the scientists' brains for the purpose of adulterating vanaspati. Why are they doing like this?

Everybody has stated, and even Government have stated, that it should be coloured. Before I reply to the points raised in this regard, I would like to state one fact in this connection. When I was a member of the Bombay Legislative Assembly, in 1949, I myself had brought forward a Bill for the prohibition of the manufacture of vanaspati, and since everybody was in favour, it was on the point of being unanimously passed. But it so happened—there, the whole procedure is different—that at the first reading stage, while replying to the debate, the hon. Minister in charge rose and gave a definite assurance to me and to the whole Assembly that within six months, Government would take steps to see that vanaspati was coloured. But what happened? The Bombay Government were prepared to see that vanaspati was coloured, but then a letter came from the Central Government, from the then Food Minister, asking them not to proceed hastily in that matter. This is what happened. I know that this letter was sent from the Central Government to the Bombay Government, because I belonged to the party which was in power at that time.

Sardar A. S. Saigal (Bilaspur): What was the reason?

Shri Dabhi: Whatever may be the reason, this is what happened.

Sardar A. S. Saigal: The reasons cannot be disclosed.

Shri Dabhi: My hon. friend Pandit Thakur Das Bhargava has referred to colouring of vanaspati, and the opinion of Dr. Satish Chandra Das Gupta. We know Dr. Satish Chandra Das Gupta is a great scientist, and a *sarvodaya* worker in Bengal. He had also suggested coloration by the use of the red oxide of iron, which gives a faint rosy tinge, such as is given to ice-creams. Even the colour suggested was excellent, being the colour of ice-creams. But I do not know why this suggestion was not accepted.

Shri Tyagi: It will become red, which is a political colour.

Shri Algu Rai Shastri: Let the capitalists suggest some colour, and it will be accepted.

Shri Dabhi: Taking it for granted that Government are not in a position to find any suitable colour, I do not understand why Government should take upon themselves .....

Shri Nambiar (Mayuram): Red is the best colour.

Shri Dabhi: ..... the burden of finding a suitable colour at all. This vanaspati is being manufactured for the benefit of the *vanaspatiwallahs*, who mulct the people every year to the tune of nearly Rs. 26 crores, as I have already said.

Pandit Thakur Das Bhargava: They spent Rs. 7 lakhs or so only for propaganda after my Bill was introduced.

Shri Dabhi: Let a suitable colour be found for the coloration of vanaspati, or let the factories be stopped from manufacturing vanaspati. Let a suitable time be given to the factories, say, six months or twelve months, within which they should find out a suitable colour: otherwise, stop the manufacture of vanaspati altogether. Let them use the scientists' brain, which they use now for adulterating vanaspati, for finding a suitable colour. If that is done, there is an end of the matter. I would suggest that Government should not take upon themselves the responsibility of finding a suitable colour.

Shri Algu Rai Shastri: Mend it or end it.

Shri Dabhi: This question should be left to the *vanaspatiwallahs* themselves to solve.

There is one other point to which my hon. friend Pandit D. N. Tiwary made a reference. He said that the poor people were using vanaspati during marriage feasts etc. for the sake of *izzat*, as ghee was dear and they could not afford to buy it. It is really foolish on their part to do so. If they are under-fed, and they do not have the means to purchase ghee, why should they pay a higher price and get vanaspati for use, instead of buying oil? Why should they be so foolish?

Mr. Chairman: May I know from the hon. Member how much more time he will require?

Shri Dabhi: I would require about ten or fifteen minutes more.

Mr. Chairman: Then, the hon. Member may continue his speech on the next occasion.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday the 29th November, 1954.